

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
गौतमबुद्धनगर/लखनऊ/आगरा/इटावा/इलाहाबाद/
बरेली/सहारनपुर/गोरखपुर/फैजाबाद ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-स्था-5(ग)-सामान्य विकलांगता सूचना पत्रावली(2017-18)// 1712//वाणिज्य कर दिनांक 21-06-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा आशुलिपिक संवर्ग की वर्तमान प्रभावी ज्येष्ठता सूची में (1) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि, (2) श्रवण हास और (3) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात (फालिज) श्रेणी की विकलांगता से ग्रसित वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 ,आशुलिपिक के पद पर आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की सूचना प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है । उक्त सम्बन्ध में आपके जोन से वाँछित सूची अभी तक मुख्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

अतः वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 ,वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 अथवा आशुलिपिक के पद पर यदि कोई कार्मिक आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत है तो उसकी सूचना 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप के अनुसार विकलांगता प्रमाण पत्र सहित मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक _____ उक्त ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर,झाँसी जोन झाँसी को उनके पत्र सं०-768 दिनांक 24-06-2017 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि रितुराज प्रकाश यादव,वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 एवं श्रीमती रितु अग्रवाल,आशुलिपिक के विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- 2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उपरोक्त की एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित ।

09.10.17

(वीरेन्द्र नारायण वर्मा)

डिप्टी कमिश्नर (स्था0 अराज0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।

